महेश ग्रोवर के समक्ष जे।

जीई जे ओ, याचिकाकर्ता

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य - *प्रतिवादी*

सी.डब्ल्यू.पी.एन.ओ. 2005 की 3310

13 अक्टूबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 - याचिकाकर्ता द्वारा एक निश्चित वेतन पर लगभग 35 वर्ष की सेवा प्रदान करना- पेंशन लाभों का दावा करने के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा- क्या पेंशन के लिए हकदार - धारित, हां- कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवा पर भी पेंशन प्रदान करने के लिए विचार किया जाना है- याचिका की अनुमति दी गई, याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ प्रदान करने का हकदार माना गया।

यह माना जाता है कि स्थापित कानून के संबंध में जहां एक कार्य-प्रभारी कर्मचारी की सेवा को भी पेंशन देने के लिए माना जा सकता है, याचिकाकर्ता को इस तरह के लाभ से केवल इस आधार पर वंचित करना कि उसने 10 साल की योग्यता सेवा पूरी नहीं की, भले ही वह पिछले 35 वर्षों से उत्तरदाताओं के साथ काम कर रही थी, मनमाना कहा जा सकता है और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता के लिए *जी.पी.एस.*

मैं एल.एन. मेहतानी, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों के लिए।*

महेश ग्रोवर, जे।

(एक) याचिकाकर्ता ने परमादेश की रिट जारी करने के लिए तत्काल याचिका दायर की है, जिसमें उत्तरदाताओं को ग्रेच्युटी, चिकित्सा भत्ता, अवकाश नकदीकरण और अन्य सभी स्वीकार्य सेवानिवृत्ति लाभों की शेष राशि का भुगतान जारी करने का निर्देश दिया गया है।

उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पेंशन और उसके बकाया को जारी करने का निर्देश देने के लिए एक और प्रार्थना की गई है।

(दो) पेटीटोनर का दलील दिया गया मामला यह है कि वह 13 मई, 1968 को कहार के रूप में प्रतिवादियों के साथ कार्यरत थी और फरवरी, 2004 में सेवानिवृत्त हुई। इस प्रकार, वह तर्क देती है कि उत्तरदाताओं के साथ एक निश्चित वेतन पर काम करने और 35 वर्षों की अवधि के लिए उनकी सेवा करने के बाद, वह पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की हकदार थी।

(तीन) उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता द्वारा उनके संगठन को प्रदान की गई सेवा के तथ्य से इनकार नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने दलील दी है कि वह पेंशन की हकदार नहीं हैं और उनका मामला स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (संक्षेप में विनियम) के तहत नहीं आता है।

(चार) पेंशन प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को भी प्रतिवादियों द्वारा अनुलग्नक पी 7 के माध्यम से नकार दिया गया था, जो उत्तरदाताओं के वकील द्वारा उसके दावे को अस्वीकार करने के लिए अपनाया गया प्राथमिक तर्क भी है, जिस पर उसने आपत्ति जताई थी। अभ्यावेदन का निर्णय निम्नानुसार अवलोकन करके लिया गया है -

> "श्रीमती गेजो को बैंक द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को देय 1/3 पैमाने के वेतन पर 1 सितंबर, 1996 को अंशकालिक कहार के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 1 अक्टूबर, 2003 से 1/2 पैमाने की मजदूरी में अपग्रेड किया गया था। वह 29 फरवरी, 2004 को बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुईं, इस प्रकार उन्होंने 7 साल और 10 महीने की कुल सेवा की। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें 15 मार्च, 2004 को ग्रेच्युटी के रूप में 11,234/- रुपये, 26 मई, 2004 को अवकाश नकदीकरण के लिए 6,062/- रुपये, 10 जुलाई, 2004 को बोनस के रूप में 1931/- रुपये और भविष्य निधि के रूप में 6,609/- रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें से मांग ऋण और त्योहार ऋण के लिए उनसे वसूली योग्य 1461.92 रुपये और 600/- रुपये की राशि वसूल की गई और शेष 4547.08 रुपये का भुगतान 23 मार्च को किया गया। 2004. उन्हें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के रूप में 1200 रुपये और मेडिकल बिल के रूप में 550 रुपये का भुगतान भी किया गया। उपरोक्त सभी रकम उसके एस.बी. सी नंबर 011900627। चूंकि उन्होंने 7 साल और 10 महीने की सेवा की है, न कि स्टेट बैंक ऑफ पैटाला (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के तहत 10 साल की न्यूनतम योग्य सेवा, इसलिए पेंशन लाभ के लिए हकदार नहीं हैं।

(पाँच) इस प्रकार, यह दलील दी गई कि चूंकि याचिकाकर्ता ने 7 साल और 10 महीने की सेवा में रखा और विनियमों के तहत 10 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी नहीं की, इसलिए

वह पेंशन लाभ की हकदार नहीं थी।

(छः) मैंने पार्ली के लिए विद्वान सलाह को सुना है और 11 अर्थात।

(सात) तथ्य विवाद में नहीं हैं, एकमात्र विवाद जो यहां उठाया गया है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता 35 साल तक उत्तरदाताओं के साथ काम करने के बाद पेंशन का हकदार है या क्या प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क को यह कहना सही माना जाना चाहिए कि वह पेंशन की हकदार नहीं थी क्योंकि उसकी कुल सेवा 7 साल और 10 महीने हो गई थी और उसने योग्यता सेवा पूरी नहीं की थी 10 साल का।

(X) विचार करने के बाद (वह विस्तार से मेल करता है। मेरी राय है कि याचिकाकर्ता आईएचसी तर्क की समानता पर जेल पेंशन लाभ का हकदार है जो इस न्यायालय की कुल पीठ द्वारा **केसर चंद** *बनाम* **स्टेट ऑफ पुन जैब और अन्य** में दिए गए निर्णय में दिया गया है, (1)।उस मामले में, कुल बेंच ने इसी तरह के विवाद पर विचार किया जहां एक कार्य-प्रभारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को पेंशन देने के लिए विचार नहीं किया जा रहा था। संदर्भ उद्देश्यों के लिए, पैराग्राफ 9. 10. II और उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

> "9. पेंशन क्या है। क्या यह संपत्ति का अधिकार है या उपहार? यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष **भगवंत सिंह** *बनाम* **भारत संघ, एआईआर 1962 पंजाब 503 में विचारार्थ आया था। यह** माना गया कि ऐसा अधिकार 'संपत्ति' का गठन करता है और कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 31 (1) का उल्लंघन होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को भारत **संघ** *बनाम* **भगवंत सिंह बनाम भारत संघ में लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा अनुमोदित किया गया था,** जिसे आईएलआर (I965) (2) पंजाब I के रूप में रिपोर्ट किया गया था। आई-साइटर्स पेटेंट बेंच ने माना कि एक लोक सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर दी गई पेंशन संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के अर्थ के भीतर 'उचित' है और उसे कानून के अधिकार को छोड़कर इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।
>
> यह)। यह मामला पुन इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष केआर **एरी आरटीआर 7/वी स्टेट ऑफ पुन जैब, जिसे** यूके (1967) खंड 1 पंजाब और हरियाणा 278 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, में सुनवाई के लिए आया। मैं एचसी बहुमत उद्धृत डब्ल्यू ith अनुमोदन ihc सिद्धांत न्यायालय के पहले दो निर्णयों में डॉव एन ऊपर संदर्भित और आयोजित किया गया (hat ihc पेंशन io नहीं है Ihc swed- इच्छा और खुशी पर देय इनाम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए (io\प्रख्यात

(I) I08K (5) एसजे _R. 27 HWII)

और का अधिकार

अधिवषता पेंशन, इसकी राशि सहित, एक सरकारी कर्मचारी में निहित एक vauI उत्तरदायी अधिकार है। पूर्ण पीठ के फैसले को **देवकीनंदन प्रसाद** *बनाम* **बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे** एआईआर 1971 एससी 1409 के रूप में रिपोर्ट किया गया था। निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ: - "हमारी राय है कि पेंशन प्राप्त करने का याचिकाकर्ता का अधिकार अनुच्छेद 31 (1) के तहत संपत्ति है और केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा राज्य के पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी। इसी तरह, उक्त दावा भी अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के तहत ठीक से है और यह अनुच्छेद 19 के उप-अनुच्छेद (5) द्वारा सहेजा नहीं गया है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 12 वीं .lune। 1968. याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (आई) और 31 (1) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को अस्वीकार करता है, और इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य है।

(ग्यारह) इस दृष्टिकोण की पंजाब **राज्य** *बनाम* **इकबाल सिंह में** एआईआर 1976 एससी 667 के रूप में रिपोर्ट की गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य निम्नानुसार अवलोकन करने की कृपा कर रहे थे: -

"अपीलकर्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि केआर लिनी की आसानी (एआईआर 1967 पंजाब 279) में पंजाब और हरियाणा के आई लीग कोर्ट का कुल बेंच का फैसला कानून के अनुसार नहीं है क्योंकि सेवानिवृत्ति पेंशन एक इनाम है और इसे जीआरएसीसी के अधिनियम के रूप में दिया जाता है। यह आधार अब **दकोकिनंदन प्रसाद** *बनाम* **बिहार** राज्य (एआईआर 1971 एससी 1409) में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, जहां यह माना गया था कि पेंशन सरकार की इच्छा और खुशी पर देय इनाम नहीं है और इसे प्राप्त करने का सरकारी कर्मचारी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के तहत संपत्ति है और राज्य इसे एक द्वारा रोक नहीं सकता है केवल कार्यकारी आदेश। यह आगे कहा गया था कि पेंशन का दावा भी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत संपत्ति था और इसके खंड (v) द्वारा बचाया नहीं गया था।

इसे देखते हुए। पेंशन उचित रूप से प्राप्त करने का अधिकार है और किसी सरकारी

कर्मचारी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून के, जो कि विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। सम्मेलन के अनुच्छेद 14 के लेस्ट को संतुष्ट करना होगा।

19 .....

.....कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों के लिए समान कानूनों का संरक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 14 मनमानेपन पर प्रहार करता है क्योंकि एक प्रावधान जो मनमाना है उसमें समानता का निषेध शामिल है। यहां तक कि राज्य सरकार के अधीन अस्थायी या स्थानापन्न सेवा को भी अर्हक सेवा में बंद रखने के लिए माना जाना चाहिए। यह अतार्किक प्रतीत होता है कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियमितीकरण से पहले कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में बिताए गए सेवा की अवधि को उसकी योग्य वित्तीय सेवा का निर्धारण करने के लिए ध्यान में नहीं रखा गया है। पेंशन के पात्र सरकारी कर्मचारियों और जिन्होंने कार्यभार भारित कर्मचारियों के रूप में कार्य शुरू किया था और उनकी सेवाओं को बाद में नियमित किया गया था, और अन्य के बीच जो वर्गीकरण किया जाना है, वह किसी समझदार मानदंड पर आधारित नहीं है और इसलिए कानून में टिकाऊ नहीं है। काम पर लगे कर्मचारी की सेवाएं नियमित होने के बाद, वह किसी भी अन्य कर्मचारी की तरह एक लोक सेवक है। उसे पेंशन से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण है, बल्कि मनमानेपन के दोष से प्रभावित है, और इन कारणों से नियमों के नियम 3.17 के उप-नियम (ii) के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए रद्द करना होगा।

(नौ) पूर्वोक्त कानून के संबंध में जहां एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी की सेवा को भी पेंशन देने के लिए विचार किया जा सकता है, याचिकाकर्ता को इस तरह के लाभ से केवल इस आधार पर वंचित करना कि उसने 10 साल की योग्यता सेवा पूरी नहीं की, भले ही वह पिछले 35 वर्षों से उत्तरदाताओं के साथ काम कर रही थी, मनमाना कहा जा सकता है और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है।

(दस) तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को देय पेंशन की गणना करें और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उसे सभी स्वीकार्य पेंशन लाभ जारी करें। याचिकाकर्ता वास्तविक भुगतान की तारीख तक सेवानिवृत्त होने की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ऐसे लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh